प्रेषक,

सचिव,
प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

सेवा में,

अध्यक्ष/सचिव
रोरिया समिति छर्रा, अलीगढ़।
संस्था का नाम- रोरिया ग्रुप ऑफ फार्मेसी, छर्रा, अलीगढ़।

पत्रांकः-प्राशिप/परिषद/2022/7387 **लखनऊः दिनांक- 08-08-2022**

विषयः- सत्र 2022-23 हेतु संस्थान को अनापत्ति पत्र निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया (पी०सी०आई०) के पत्रांक 14-56/2022 (Approval Process for 2022-23 as)/11621-23 दिनांक 21-6-2022 एवं 14-56/2022 (Approval Process for 2022-23 as)/12561-63 Online Application for 2022-23(DS), Online Application for 2022-23(AS) दिनांक 04-08-2022 को सदर्भित करने का कष्ट करें, जिसके अनुक्रम में सत्र 2022-23 हेतु डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम संचालित किये जाने हेतु आप द्वारा सहमति/अनापत्ति निर्गत किये जाने के संबंध में अनुरोध किया गया है।

सूच्य है कि प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थानों को "उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा अधिनियम-1962 (यथासंशोधित) 1974" की धारा-12(1) में प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत सम्बद्धता प्रदान करता है, एवं इस हेतु अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/पी०सी०आई०, नई दिल्ली से प्रश्नगत संस्थान एवं पाठ्यक्रम के अनुमोदनोपरांत ही संस्थान की सम्बद्धता पर विचार करता है।

फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया (पी०सी०आई०), नई दिल्ली के संदर्भ संख्या 14-56/2022 (Approval Process for 2022-23 as)/12561-63 Online Application for 2022-23(DS), Online Application for 2022-23(AS) दिनांक 04-08-2022 में दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में राज्य स्तरीय समिति द्वारा दी गयी संस्तुति के आधार पर संस्था को सहमति/अनापत्ति पत्र इस प्रतिबंध के साथ प्रदान की जा रही है कि संस्था द्वारा सत्र 2022-23 हेतु फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा प्रदत्त अनुमोदन पत्र, सत्र 2022-23 हेतु परिषद द्वारा आहूत सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार की बैठक से पूर्व प्राप्त कराया जाना अनिवार्य होगा। उपरोक्त अवधि तक यदि संस्था द्वारा अनुमोदन पत्र परिषद कार्यालय में प्राप्त नहीं कराया गया तो ऐसी स्थिति में संस्था को सत्र 2022-23 हेतु परिषद से सम्बद्धता प्रदान करने पर विचार नहीं किया जायेगा।

उपरोक्तानुसार निर्गत सहमति/अनापत्ति पत्र प्रतीकात्मक है, और उपरोक्तानुसार वर्णित शर्तों को पूर्ण किये जाने पर ही मान्य होगा। साथ ही पी०सी०आई० एवं परिषद द्वारा निर्धारित शर्तों/मानकों के अनुसार संस्था का स्थलीय निरीक्षण एवं अभिलेखीय सत्यापन एक माह के अंदर कराया जाएगा। पी०सी०आई०/परिषद के मानकों के क्रम में दिये गये अभिलेखों के सत्यापन की पुष्टि न होने पर अनापत्ति तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दी जाएगी।

भवदीय,

(एफ० आर० खान)
सचिव

पृ०सं०- प्राशिप/परिषद/2022/7388-89 **तद्दिनांक- 08-08-2022**

प्रतिलिपिः-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ०प्र०, कानपुर।
2. रजिस्ट्रार-कम-सेक्रेटरी, फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, कम्बाइन्ड काउंसिल बिल्डिंग, टेम्पल लेन, कोटला रोड, एवान-ए-गालिब मार्ग, नई दिल्ली- 110 002

(एफ० आर० खान)
सचिव